भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 244*
जिसका उत्तर मंगलवार 13 मार्च, 2018 को दिया जाना है

नेशनल ऑटोमोटिव पॉलिसी

244*. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल ऑटोमोटिव पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने तथा लागू किए जाने की संभावना है;
(ग) क्या ऑटोमोटिव मिशन प्लान के अंतर्गत ऑटोमोबाइल उद्योग में निवेश और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान क्या है; और
(ङ) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा ऑटोमोबाइल उद्योग में और रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

"नेशनल ऑटोमोटिव पॉलिसी" के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता और श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2018 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी हां। भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने एक मसौदा राष्ट्रीय ऑटोमोटिव नीति तैयार की है जो ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं (ओईएम) और उद्योग संघों सहित सभी स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक रूप से (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है। उचित प्रक्रिया को अपनाकर प्राप्त टिप्पणियों/मतों का विश्लेषण करने के बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मसौदा राष्ट्रीय ऑटोमोटिव नीति का उद्देश्य एक दीर्घावधिक, स्थिर और सुसंगत नीतिगत प्रणाली उपलब्ध कराना और ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक स्पष्ट प्रौद्योगिकी-संशयवादी रोडमेप तैयार करना है जिससे भारत वैश्विक रूप से एक प्रतिस्पर्धी ऑटो अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण का केंद्र बन सके और हरित मोबिलिटी के लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करें। इस नीति में वर्ष 2028 तक की समय-सीमा शामिल है।

(ग) से (ङ): नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ जुलाई 1991 में ऑटोमोबाइल उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया था। वाहन विनिर्माताओं के लिए इन वर्षों में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के आयात के मानकों को भी धीरे-धीरे उदार बनाया गया है। इस समय इस क्षेत्र में ऑटोमेटिक पद्धति के तहत 100 प्रतिशत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अनुमत है।

पिछले दो दशकों में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। विनिर्माण आउटपुट में वैश्विक रैंकिंग के संदर्भ में यह इस समय दुपहियों में दूसरी सबसे बड़ी, वाणिज्यिक वाहनों में आठवीं सबसे बड़ी यात्री वाहनों में छटी सबसे बड़ी और तिपहियों तथा ट्रेक्टरों में सबसे बड़ी है।

जैसाकि सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्यूफेक्चरर्स (एसआईएएम) ने सूचित किया है, ऑटोमोटिव मिशन योजना 2006-16 की अवधि के दौरान निवेश और उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः-

- निवेश ।1,60,000/- करोड़ से अधिक है (35 बिलियन अमेरिकी डॉलर)
- उत्पादन में हुई बढ़ोतरी से उद्योग का कारोबार ।6,12,361/- करोड़ तक पहुंच गया।

ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16 की समीक्षा के अनुसार ऑटोमोटिव उद्योग का कारोबार जीडीपी के 7.1 प्रतिशत के बराबर है। ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16 के दौरान ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा लगभग 22 मिलियन अतिरिक्त रोजगार दिए गए।

****